न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2018 **दायर दिनांकः 29.01.2018**

उनवान

1. ग्यारसीराम उर्फ ग्यारस्या आयु 75 वर्ष पुत्र श्योबक्श जाति माली निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. भंवरलाल आयु 55 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ननावता।
2. रामचरण आयु 60 वर्ष पुत्र सुगनचन्द जाति मीणा निवासी ननावता।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ननावता पंचायत समिति अटरू जिला बारां राज0।
4. ग्राम सेवक एवं सचिव ग्राम ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 CRPC

उपस्थिति :—

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

निर्णय दिनांक 29.05.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 133 सी0 आर0 पी0 सी0 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी वाके ग्राम ननावता तहसील अटरू जिला बारां का स्थाई निवासी है तथा ग्राम ननावता तहसील अटरू में प्रार्थी के खाते का बाडा ख0नं0 198 का रकबा 0.55 है0 है। ननावता व काला तालाब रोड पर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी ने रोड़ की ओर आगे मकान बना रखा है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी के मकान के सामने अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 2 का मकान अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी के मकान के सामने रेवड़ी डाल रखी है। जिससे प्रार्थी को अपने मकान पर आने जाने तथा बरसात के दिनों में बरसाती पानी मकान में घुस जाती है तथा गंदगी फैली रहती है। जिससे मक्खी मच्छर पैदा होते है। जिससे प्रार्थी के परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विवादित स्थल का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से रेवड़ी हटाने के लिये कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण ने रेवडी हटाने से मना कर दिया तथा प्रार्थी व प्रार्थी के लड़के से मारपीट करने पर आमादा हुये। प्रार्थी ने इसकी लिखित शिकायत अप्रार्थी क्रम 3 व 4 से भी रेवडी हटाने बाबत् की लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के डर की वजह से इन लोगों ने भी कोई

कार्यवाही नहीं की। विवाद का कारण अंतिम बार प्रार्थी ने 16.06.2017 को राजस्व केम्प ननावता में राजस्व केम्प अधिकारी को उक्त रेवडी हटाने के लिये शिकायत देने पर व अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। मामला ग्राम ननावता तहसील अटरू जिला बारां का होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 द्वारा डलवाई गई अवैध रेवड़ी को हटवाया जाकर उन्हें पाबन्द किया जावें कि वे भविष्य में भी पुनः किसी प्रकार का न्यूसेन्स फैलाकर प्रार्थी को परेशान नहीं करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को तारीख पेशी हेतु अवगत कराने पर भी उपस्थित नहीं हुऐं। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध एक झूठी शिकायत गांव ननावता के व्यक्ति भंवरलाल ने की थी इसमें आरोप लगाया गया कि प्रार्थीगणों ने आमरास्ता में अतिक्रमण कर लिया, बल्कि प्रार्थीगणों ने अपनी कब्जे की भूमि में मवेशी बांध रखे है, आमरास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, यह रिपोर्ट रंजिशवंश शिकायत की गई है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों के खिलाफ झूठी शिकायत पर कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा डाली जा रही रेवड़ी को हटाने व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को पाबन्द करने का निवेदन किया। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के मकान के सामने कचरा नही डालें तथा अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के मकान के पास पड़ी हुई रेवडी को तुरन्त हटावे ताकि किसी प्रकार का न्यूसेन्स पैदा न हो, निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां